राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकः प.4(1)कार्मिक/ख–3/2017 . जयपुर, दिनांकः– 1 [illegible] 2018

–: नीलामी सूचना :–

शासन सचिवालय परिसर में स्थित मुख्य भवन, मंत्रालय भवन, पंजीयक खण्ड, उत्तरी पश्चिमी भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय भवन, अभिलेखागार भवन, खाद्य भवन, सेन्ट्रल स्टोर्स भवन एवं समस्त पुस्तकालय, आयोजना पुस्तकालय से (1) फटे हुए कागज की रद्दी (स्वीप) बिना छटी (2) मैगजीन एवं साईक्लोस्टाईल्स पेपर्स (3) हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों की रद्दी का नीलामी ठेका वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक) के लिए खुली बोली द्वारा दिनांक 21.03.2018 को दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय में किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो, बोली प्रतिभूति राशि रूपये 12,000/– (अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र) नगद जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में किसी व्यक्ति/फर्म को बोली लगाने हेतु अधिकृत नहीं किया जावेगा। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्यालय दिवस को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। नीलामी की शर्तें www.dop.rajasthan.gov.in एवं www.dipr.rajasthan.gov.in तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है। उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।

पंजीयक
शासन सचिवालय, जयपुर
दूरभाष नं0 0141–2227619

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकःप.4(1)कार्मिक/ख–3/2017 जयपुर, दिनांक : 14/03/2018

–: नीलामी की शर्ते :–

1. शासन सचिवालय, जयपुर परिसर में स्थित मुख्य भवन, मंत्रालय भवन, उत्तरी–पश्चिमी भवन, पंजीयक खण्ड, मुख्यमंत्री कार्यालय भवन, अभिलेखागार भवन, खाद्य भवन, सेन्ट्रल स्टोर्स भवन एवं समस्त पुस्तकालय, आयोजना पुस्तकालय से (1) फटी हुई कागज की रद्दी (स्वीप) बिना छटी, (2) मैगजीन एवं साईक्लोस्टाईल्स पेपर्स, (3) हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार पत्रों की रद्दी वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक) की नीलामी खुली बोली द्वारा की जानी है।
2. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को रूपये 12,000/– (अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र) बोली प्रतिभूति राशि के रूप में वित्तीय सलाहकार, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को नकद जमा कराने होगा। बिना बोली प्रतिभूति राशि जमा कराये किसी व्यक्ति/फर्म को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा।
3. नीलामी के पश्चात् प्रथम व द्वितीय उच्चतम बोली दाता की बोली प्रतिभूति राशि रोककर, शेष असफल बोली दाताओं को नीलामी स्थल पर ही बोली प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जावेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम उच्चतम बोलीदाता के अनुबन्ध कर लिये जाने के उपरान्त लौटायी जा सकेगी।
4. सफल बोलीदाता जिसके पक्ष में बोली स्वीकार की जावेगी, उसे ठेका राशि की 10 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance security) स्वरूप उसी समय जमा करानी होगी। इसमें बोली प्रतिभूति राशि समायोजित कर ली जावेगी।
5. सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृति पत्र प्राप्ति की दिनांक से एक सप्ताह में रूपये 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेका निष्पादन हेतु अनुबन्ध निष्पादन कराना होगा। जिसमें नीलामी की ये शर्ते भी एक भाग होगी।
6. ठेके की राशि बराबर चार किश्तों में प्रति तिमाही अग्रिम जमा करानी होगी, जो तिमाही प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराई जावेगी। लेकिन प्रथम किश्त स्वीकृति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में जमा करानी होगी। साथ ही विभाग द्वारा जी.एस.टी. का निर्णय लिये जाने पर प्रत्येक किश्त के साथ नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि भी जमा करानी होगी।
7. जमा रद्दी पाक्षिक/मासिक उठाकर उसकी सूचना अवधाता को देनी होगी, अन्यथा रूपये 200/– प्रतिदिन की दर से 7 दिवस तक स्टोरेज चार्जेज पेनल्टी के रूप वसूल की जावेगी, तत्पश्चात् अगले 15 दिवस तक 1000/–रूपये प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्जेज पेनल्टी के रूप वसूल किया जावेगा, इसके पश्चात् भी रद्दी नहीं उठाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
8. यदि ठेका स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance security) जमा नही करवाई गई तो जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर ठेका पुनः नीलामी द्वारा अथवा द्वितीय बोलीदाता की बोली पर कमेटी द्वारा दिया जा सकता है।
9. ठेकेदार द्वारा समय पर रद्दी नहीं उठाने के कारण यदि किसी प्रकार का माल खराब हो जावेगा तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और खराब माल पर किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी।
10. रद्दी को बोरों में भरने एवं ले जाने का पूरा प्रबन्ध ठेकेदार को ही करना होगा एवं उसे ही समस्त खर्चो का वहन करना होगा।
11. ठेके की समाप्ति पर ठेकेदार को गोदाम व बाहर का कचरा उठाकर सफाई करवाकर अवधाता को संभलवाना होगा।
12. अंतिम बोली पर यदि उचित कीमत नहीं आई तो नीलामी को निरस्त अथवा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार कमेटी को रहेगा।
13. सरकारी बोली का निर्धारण नीलामी तिथि को मौके पर ही किया जावेगा।
14. निर्धारित तिथियों पर किश्त राशि जमा नहीं करवाए जाने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
15. ठेकेदार द्वारा रद्दी का ठेका अन्य किसी ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। यह कार्य स्वयं ठेकेदार द्वारा ही करवाया जायेगा। यदि यह कार्य अन्य किसी ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को सबलेट कर दिया जाता है, तो ठेका निरस्त करने का अधिकार कार्मिक विभाग को होगा।
16. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।
17. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जी.एफ. एण्ड ए.आर. में वर्णित सम्बन्धित शर्ते भी मान्य होगी।

पंजीयक,
शासन सचिवालय, जयपुर